न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

केम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुंतला, R.A.S

प्रार्थी बनाम **अप्रार्थी**

लक्ष्मणराम पुत्र खसाराम जाति मीणा व अन्य निवासी धुबाणा तह० शिवगंज

राज० सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

–:आदेश:– **प्रा०पत्र सं.– 74/2023**

दिनांक 09.03.2024

उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थीगणों ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज के पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा धुबाणा पटवार हल्का धुबाणा तहसील शिवगंज के खसरा नं0 59 कुल रकबा 1.6268 हैक्टयर किस्म बारानी–1 संपूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीगण सं0 1 लगाय 4 तक राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। तथा मौजा धुबाणा के खसरा नं0 59/1 कुल रकबा 2.4281 हैक्टयर किस्म बारानी–1 संपूर्ण प्रार्थीगण सं0 5 के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। राजस्व रेकर्ड को DILRMP के तहत ऑनलाईन करने के दौरान प्रार्थीगण की कृषि भूमि कब्जा अनुसार मौके पर तरमीम नहीं की गई है। तथा वर्तमान में उक्त कृषि भूमि मौका स्थिति कब्जा स्थिति भिन्न भिन्न दर्शा रहा है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व नक्शें में कब्जा अनुसार न्यायहित में शुद्धी किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगणों द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों एवं मौका जांच अनुसार प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा धुबाणा पटवार हल्का धुबाणा तहसील शिवगंज के खसरा नं0 59 रकबा 1.6268 हैक्टयर व खसरा नं0 59/1 रकबा 2.4281 हैक्टयर भूमि आई हुई है। उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम DILRMP योजना के तहत ऑनलाईन तरमीम करते वक्त तरमीम मौके एवं कब्जे अनुसार नहीं होने से तहसीलदार शिवगंज ने प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने को उचित बताया गया है।

पत्रावली आज दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प शिवगंज में पेश हुई जिसमें दोनों पक्षकारान की आपसी राजीनामा से तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्व नक्शें में तरमीम शुद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया। लोक अदालत में राजीनामा, दस्तोवजी साक्ष्य एंव तहसीलदार शिवगंज की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिवगंज को प्रस्तावित नक्शे अनुसार मौजा धुबाणा पटवार हल्का धुबाणा तहसील शिवगंज के खसरा नं0 59 रकबा 1.6268 हैक्टयर व खसरा नं0 59/1 रकबा 2.4281 हैक्टयर भूमि की तरमीम शुद्धी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। **स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया ।

यह आदेश आज दिनांक 09.03.2024 को रा0 लोक अदालत में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.04.02 10:45:33 IST
Reason: SelfAttested

(शकुंतला, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

क्रमांक/कोर्ट/2024/ दिनांक 09.03.2024

प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

प्रस्तावित नक्शा-

N / S

मौजा - धुबाणा
तह॰ - शिवगंज
जिला - सिरोही

हुकमाराम
दौलाराम

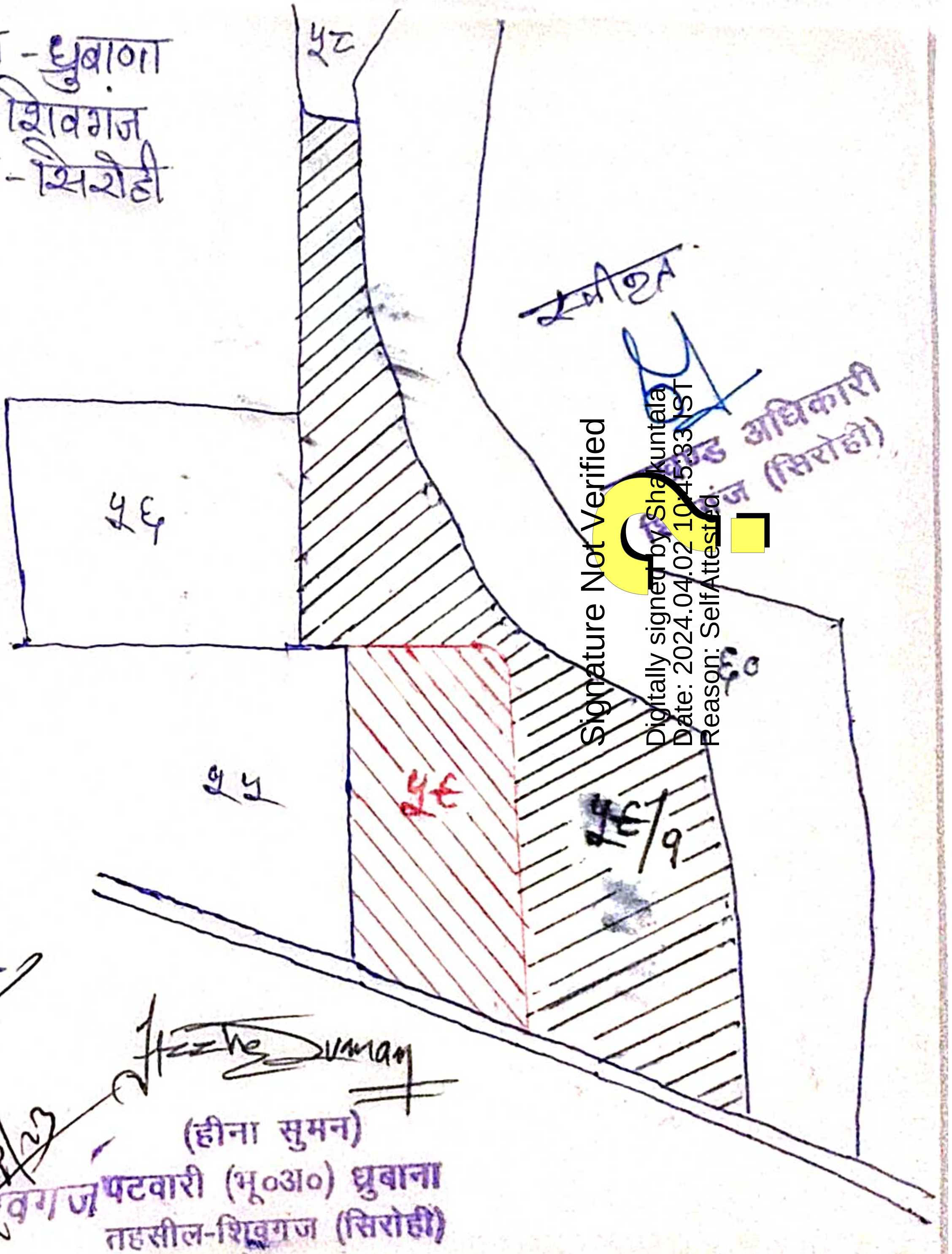

- प्रस्तावित नक्शे के अनुसार खसरा स॰ ५९
- प्रस्तावित नक्शे के अनुसार खसरा स॰ ५९/१

(हीना सुमन)
पटवारी (भू॰अ॰) धुबाना
तहसील-शिवगंज (सिरोही)

तहसीलदार, शिवगंज

अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.04.02 10:45:33 IST
Reason: SelfAttested